न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस **अपील संख्या एल आर ए/ 253/2018**

उनवान

1. प्रेमा माली आत्मज भोलू माली निवासी डाबला कचरा, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शाहपुरा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा, के प्रकरण संख्या 23/2018 निर्णय दिनांक 30.5.2018 एवं तहसीलदार, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 197/2017 निर्णय दिनांक 12.1.2018

——

अधिवक्तागण :—

1. श्री रमेश चेचाणी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.9.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का डाबला कचरा ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा के यहॉ प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डाबला कचरा तहसील शाहपुरा की आराजी नम्बर 20 कुल रकबा 0.57 किस्म बंजड में से 0.40 हे0 पर तिल आराजी नम्बर 21 कुल रकबा 2.12 किस्म बंजड में से 0.35 हे0, आराजी नम्बर 2.80 किस्मबंजड में से 0.75 हे0 पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर संवत 2074 में फसल खरीफ के दौरान जिंस तिल काश्त कर अतिक्रमण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया है। अतः अतिक्रमी के विरूद्ध 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही की जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण तहसीलदार , शाहपुरा ने अप्रार्थी को ग्राम डाबला कचरा तहसील शाहपुरा की आराजी नम्बर 20 कुल रकबा 0.57 किस्म बंजड में से 0.40 हे0 पर तिल आराजी नम्बर 21 कुल रकबा 2.12 किस्म बंजड में से 0.35 हे0, आराजी नम्बर 2. 80 किस्मबंजड में से 0.75 हे0 पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर संवत 2074 में फसल खरीफ के दौरान जिंस तिल काश्त कर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.1.2018 द्वारा लगान का पचास गुणा 100/—रूपये के अर्थदण्ड तथा 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने के साथ ही फसल को जब्त सरकार कर निलाम किये जाने का आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.5.2018 द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी की अपील को खारिज किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की ।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि ग्राम डाबला कचरा की बिलानाम आराजी नम्बर 20, 21, 23 किस्म बंजड भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का डाबला कचरा द्वारा पेश करने पर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत मामला

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तहसीलदार शाहपुरा के यहॉ पंजिबद्ध किया गया । जिसका कोई नोटिस अपीलार्थी को नहीं दिया गया । उसके बावजूद भूमिहीन अपीलार्थी ने लिखित जवाब प्रस्तुत किया साथ ही अपीलार्थी ने अपीलार्थी को वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के कारण जारी नोटिस की प्रतियॉ भी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी/विपक्षी का कब्जा 2003 से चला आ रहा है । इसलिए वादग्रस्त भूमि का नियमन कराये जाने हेतु अलोटमेण्ट कमेटी को भिजवाने का निवेदन किया । उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध उसे पश्चावर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने व फसल जब्त सरकार कर निलाम करने तथा 50 गुना शास्ति लगाने का आदेश पारित किया । उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायलय में अपील प्रस्तुत की । अधीनस्थ न्यायालय ने भी गुणावगुण पर विचार किये बिना ही अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलार्थी की अपील को खारिज कर दी। इसलिए अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि पश्चातवर्ती अतिक्रमण के बारे में अपीलाण्ट के विरूद्ध जारी नोटिस में पूर्व के वर्ष एवं भूमि बाबत कोई विवरण नहीं देकर नोटिस में रिक्त स्थान छोडने से भेजा गया नोटिस कानूनन पश्चातवर्ती अतिक्रमण के बारे मे नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी भूमिहीन काश्तकार होकर वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट का 2003 से लगातार कब्जाकाश्त होने के कारण वह नियमन का पात्र है । इस बिन्दु पर अधीनस्थ दोनों ही न्यायालयों ने कोई गौर नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तहसीलदार शाहपुरा ने शिकायत कुनिन्दा पटवारी हल्का के बयान रूबरू लेखबद्ध नहीं किये गये तथा अपीलार्थी को उससे जिरह करने का अवसर प्रदान नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण के प्रलेख को प्रदर्शित नहीं कराया गया है। उसके बावजूद अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलार्थी को सिविल कारावास, बेदखली एव शास्ति से दण्डित किया जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीका कर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने तर्को की पुष्टि में आर बी जे (8) 2001 पेज 475 की ओर ध्यान आकर्षित किया ।

6. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलाण्ट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर पश्चातवर्ती अतिचार होने की कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि पर 2003 से लगातार काश्त कर रहा है । इसलिए वह नियमन की पात्रता रखता है। अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजी को अलोटमेण्ट कमेटी को भिजवाने का निवेदन किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमन किये जाने के बिन्दु पर गौर नहीं किया है ।

8. अपीलार्थी स्वयं वादग्रस्त आराजी पर 2003 से लगातार कब्जा होने का कथन करता है तथा दूसरी तरफ वादग्रस्त आराजी से स्वयं को बेदखल करने के तथ्य से इंकार करते हुए कथन करता है कि उसके विरूद्ध

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पश्चातवर्ती अतिचार के कारण बेदखली का पर्चा में भूमि का पडौस अंकित नहीं होने, व कब्जेसुदा वाली भूमि कौनसी है उसका अंकन नहीं होना बताते हुए पश्चातवर्ती अतिचार होने से इंकार किया है । जबकि इसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का के बयान उपलब्ध है। जिसमें पटवारी हल्का ने ''ग्राम डाबला कचरा की बिलानाम आराजी नम्बर 20, 21, 23 रकबा कमशः 0.40, 0.35, 0.75 हे0 पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर संवत 2074 फसल खरीफ के दौरान जिंस तिल काश्त की है । उक्त अप्रार्थी के विरूद्ध मेरे द्वारा नाजायज कब्जे की रिपोर्ट पेश की यह सही है। पूर्व में भी इसी आराजियात के भू भाग पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया था। ''अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखली पर्चा भी संलग्न है। जिससे अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजियात पर पश्चातवर्ती अतिचार साबित होता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरात भी प्रकरण पर चस्पा नही होती। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है। वह विधिसम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

9. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.5.2018 एवं तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.1.2018 को यथावत रखा जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 27.9.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

27/9/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा